

श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में सम्भाली देश की बागडोर



माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दिनांक 12 जून 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, गुजरात के रूप में कृपापूर्वक चैम्बर में पधारे थे। उनका स्वागत करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (ऊपर) एवं उनसे विचार-विमर्श करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (नीचे)।

श्री मोदी के जीवन के 10 अहम पड़ाव

1. 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में जन्म। वह अपने माता-पिता की छह संतानों में तीसरे हैं।
2. बचपन में अपने पिता के साथ चाय की दुकान पर काम किया और किशोरावस्था में अपने भाई के साथ बस टर्मिनल पर चाय की दुकान चलायी।
3. 13 वर्ष उम्र में जशोदा बेन के साथ सगाई और 18 वर्ष की आयु में शादी।
4. 1970 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक बने। नागपुर में ट्रेनिंग के बाद उन्हें गुजरात में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रभारी बनाया गया।
5. 1985 में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने बीजेपी में भेज दिया। 1988 में उन्होंने बीजेपी की गुजरात यूनिट के संगठन सचिव पद का चुनाव जीता।
6. 1995 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बने। उन्हें हरियाणा और हिमाचल का प्रभार सौंपा गया। मई 1998 में उन्हें महासचिव के तौर पर प्रमोट किया गया और गुजरात के विधानसभा चुनाव में चयन समिति में शामिल किया गया।
7. 7 अक्टूबर 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। उन्होंने केशुभाई पटेल की जगह ली।
8. मार्च 2002 में गुजरात के कई शहरों में सांप्रदायिक दंगे हुए। जिनमें हजारों लोग मारे गये। मोदी पर दंगों को शह देने का आरोप लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करने की सलाह दी। उसके बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में लगातार तीन विधान सभा चुनाव जीते।
9. 10 जून 2013 को गोवा कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सितंबर में उन्हें पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।
10. 16 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर पहली बार बहुमत हासिल किया। (साभार : प्रभात खबर, 17.05.2014)

श्री मोदी के देश से 10 वादे

1. काला धन : नरेंद्र मोदी ने बार-बार कहा है कि वह विदेशों में जमा काले धन की जांच करवायेंगे और काला धन वापस लाकर उसे विकास कार्यों में लगायेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि इसका एक हिस्सा ईमानदार लोगों को दिया जायेगा। मोदी ने कहा है, विदेशी बैंकों में खाते हैं जिनकी पाई-पाई मैं वापस लाऊंगा। देश के गरीबों का पैसा विदेशी बैंकों की तिजोरियों में बंद नहीं रहने दूंगा।

2. वाराणसी का कायाकल्प : वाराणसी को देश की सांस्कृतिक राजधानी बनाकर उसे दुनिया के नक्शे पर चमकाया जायेगा। वाराणसी के बुनकरों को एक महीने में मॉडर्न बनाने का भी वादा है।

3. नदियों को जोड़ेंगे : देश भर की नदियों को जोड़ा जायेगा। तटीय क्षेत्रों का विकास करना, तटों को जोड़ने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट लाया जायेगा। नदियों के पानी का समुचित बंटवारा करके सभी राज्यों को लाभान्वित जायेगा।

4. बुलेट ट्रेन : मोदी चाहते हैं कि देश की जीवन रेखा रेल का कायाकल्प किया जाये। उन्होंने वादा किया है कि उनकी सरकार देश भर में बुलेट ट्रेनों का जाल बिछा देगी।

5. 100 नये शहर : देश के सभी शहरों के लिए योजना बनायी जायेगी। इसके अलावा सौ नये शहर बसाये जायेंगे। इन शहरों में रोजगार के साधन भी मुहैया कराये जायेंगे।

6. भ्रष्टाचार खत्म करेंगे : भ्रष्टाचार का मुद्दा मोदी ने अपनी हर चुनाव रैली में प्रमुखता से उठाया। मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल बढ़ायेंगे ताकि व्यक्तियों की भूमिका कम हो जाये। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार कड़ाई भी करेगी।

7. महंगाई कम करेंगे : मोदी ने वादा किया है कि उनकी सरकार ऐसी योजनाएं बनायेगी जिनसे महंगाई कम हो सके और इसके साथ ही किसानों को भी उनकी फसल का वाजिब दाम मिल सके।

8. सबको घर : देश के हर नागरिक को सरकार पक्का मुहैया करायेगी। इसके साथ ही हर घर में पीने के स्वच्छ पानी की भी व्यवस्था की जायेगी।

9. पटना-रांची का विकास : मोदी का वादा है कि वह पटना, रांची, वाराणसी और कोलकाता को पूर्वोत्तर का केंद्र बना कर देश के सभी पूर्वी राज्यों का भरपूर विकास करेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े।

10. मछुआरों की रक्षा : गुजराती मछुआरों की पाकिस्तान से रक्षा की जायेगी। इसके अलावा तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के मछुआरों को भी भरपूर सुरक्षा दी जायेगी।

(साभार: प्रभात खबर, 17.5.2014)

नयी केन्द्र सरकार से बिहार की जनता को काफी उम्मीदें

श्री मोदी के बिहार से किए वादे

03 मार्च 2014 (मुजफ्फरपुर) : 2012 में बिहार के आठ लाख 50 हजार लोगों ने बेरोजगार के दफ्तर में नाम रजिस्टर करवाया। विकास के साथ रोजगार के नये अवसर भाजपा की नयी सरकार उपलब्ध करायेगी। चीनी मिलें बंद हैं। एक बार कमल आया तो मखाना नहीं लक्ष्मी आकर बैठने लगेगी, 90 फीसदी मखाना इसी क्षेत्र से आता है।

27 मार्च 2014 (सासाराम) : धान की खरीद के लिए मशीनरी और बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करने से ही बिहार की तरक्की तेज होगी। जगजीवन राम के समय में शिलान्यास के बाद दुर्गावती जलाशय का काम आज तक पूरा नहीं हुआ।

10 अप्रैल, 2014 (जहानाबाद) : बुनियादी ढांचे पर ध्यान देकर जहानाबाद क्षेत्र भी गया से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है।

15 अप्रैल, 2014 (भागलपुर) : मैं नौजवानों की किस्मत बदल दूंगा। रेशम उद्योग और बुनकरों की बेहतरी के लिए टैक्सटाइल हब बनाने की जरूरत है। आज बुनकरों की स्थिति काफी बदहाल है। भाजपा की सरकार बनी, तो बदहाली को दूर किया जाएगा।

07 मई, 2014 (बेतिया) : आपके प्यार को विकास के रूप में लौटा दूंगा, भाजपा की सरकार बनने पर किसानों को पैदावार की लागत पर 50 फीसदी मुनाफे के साथ समर्थन मूल्य दिया जाएगा।

27 मार्च, 2014 (गया) : उत्तर कोयल नहर परियोजना पर 1975 में काम

शुरू हुआ था। लेकिन चार दशकों में भी परियोजना अधूरी है। आतंकी हमले के बाद पर्यटकों के कम आने के कारण लोगों के समय रोज-रोटी का संकट है। इसलिए आतंक को मिटाने का संकल्प लेना होगा।

02 अप्रैल 2014 (बक्सर) : अटल बिहारी वाजपेयी ने नदियों को जोड़ने का सपना देखा था। पर कांग्रेस शासन के अधीन उस पर कुछ भी नहीं हुआ। भाजपा के 2014 में सत्ता में आने के बाध ही इस मोर्चे पर भी तेजी आयेगी।

10 अप्रैल 2014 (पटना, विक्रम) : दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। गुजरात के लोग सरस्वती के लिए तरसते हैं और बिहार के लोग लक्ष्मी के लिए, अगर दोनों मिल जाएं तो क्या होगा।

24 अप्रैल 2014 (सहरसा) : कोसी के विकास का जो सपना वाजपेयी जी ने देखा और परियोजनाएं शुरू की उसे नयी सरकार प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी। निर्मली में रेल महासेतु समेत कोसी में लंबित अन्य परियोजनाएं नयी सरकार की प्राथमिकता में शामिल होंगी। बगैर जल प्रबंधन किये बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान नहीं हो सकता।

09 मई 2014 (सीवान) : हमारी सरकार प्रधानमंत्री ग्राम समग्र सिंचाई योजना जैसी नीतियां लाकर किसानों को खुशहाल बनायेगी। (प्रभात खबर, 26.5.2014)

केन्द्रीय मंत्रिमंडल

श्री नरेन्द्र मोदी	: प्रधानमंत्री— कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग। अन्य ऐसे मंत्रालय/ विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं।
	कैबिनेट मंत्री
1. राजनाथ सिंह	: गृह मंत्रालय
2. सुषमा स्वराज	: विदेश, प्रवासी भारतीय मामले
3. अरुण जेटली	: वित्त, रक्षा, कॉरपोरेट मामले
4. एम. वेंकैया नायडू	: शहरी विकास, आवासीय एवं शहरी, गरीबी उन्मूलन एवं संसदीय कार्य
5. नितिन गडकरी	: परिवहन एवं राजमार्ग, जहाज रानी
6. डी. वी. सदानंद गौडा	: रेलवे
7. उमा भारती	: जल संसाधन, गंगा सफाई एवं नदी विकास
8. नजमा हेपतुल्ला	: अल्पसंख्यक मामले
9. गोपीनाथ मुंडे	: ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
10. राम विलास पासवान	: उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
11. कलराज मिश्र	: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग
12. मेनका गांधी	: महिला एवं बाल विकास
13. अनंत कुमार	: रसायन एवं उर्वरक
14. रवि शंकर प्रसाद	: सूचना प्रौद्योगिकी, कानून
15. आशोक गजपति राजू	: नागरिक विमानन
16. अनंत गीते	: भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपकरण
17. हरसिमरत कौर बादल	: फूड प्रोसेसिंग
18. नरेन्द्र सिंह तोमर	: खान, इस्पात और श्रम एवं नियोजन
19. जुएल ओरांव	: आदिवासी मामले
20. राधा मोहन सिंह	: कृषि
21. थावरचंद गहलोत	: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
22. स्मृति जुबीन ईरानी	: मानव संसाधन विकास
23. हर्षवर्धन	: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	राज्यमंत्री
25. जनरल रिटायर्ड वीके सिंह	: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), विदेश एवं प्रवासी भारतीय मामले
26. राव इंद्रजीत सिंह	: योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा

27. संतोष कुमार गंगवार : कपड़ा (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य, जल संसाधन, गंगा सफाई
28. श्रीपद यशो नायक : संस्कृति और पर्यटन (स्वतंत्र प्रभार)
29. धर्मेन्द्र प्रधान : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (स्वतंत्र प्रभार)
30. सर्वानन्द सोनवाल : कौशल विकास, उद्यमिता, युवा मामला एवं खेल (स्वतंत्र प्रभार)
31. प्रकाश जावड़ेकर : सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन(स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य
32. पीयूष गोयल : ऊर्जा, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (स्वतंत्र प्रभार)
33. जितेन्द्र सिंह : विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और भू-विज्ञान (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग
34. निर्मला सीतारमन : वाणिज्य एवं उद्योग (स्वतंत्र प्रभार) वित्त एवं कॉरपोरेट मामले
35. जी. एम. सिद्धेश्वर : नागरिक विमानन
36. मनोज सिन्हा : रेलवे
36. निहाल चंद : रसायन एवं उर्वरक
37. उपेन्द्र कुशवाहा : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
39. पी. राधाकृष्णन : भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम
40. किरें रिजिजु : गृह
41. कृष्ण पाल गुज्जर : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी
42. संजीव कुमार बलियान : कृषि, फूड प्रोसेसिंग
43. मनसुखभाई वसावा : जनजातीय मामले
44. राव साहेब दानवे : उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण
45. विष्णु देव साय : खान, इस्पात और श्रम एवं नियोजन
46. सुदर्शन भगत : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

(साभार : दैनिक भास्कर, 28.05.2014)

श्री जीतन राम मांडवी
मुख्यमंत्री, बिहार

बिहार मंत्रिमंडल

विभाग का नाम : 1. मंत्रिमंडल सचिवालय, 2. निगरानी, 3. निवाचन, 4. गृह, 5. सामान्य प्रशासन, 6. वित्त, 7. वाणिज्यकर, 8. पर्यावरण एवं वन, 9. पथ निर्माण, 10. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, 11. स्वास्थ्य, 12. नगर विकास एवं आवास, 13. पशु एवं मत्स्य संसाधन, 14. खान एवं भूतत्व, 15. सहकारिता, 16. पर्यटन, 17. अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, 18. पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, 19. ऐसे विभाग जो किसी अन्य को आवंटित नहीं है।

मंत्रिमंडल के सदस्य

मंत्री	विभाग
विजय कुमार चौधरी	जल संसाधन
बिजेन्द्र प्रसाद यादव	ऊर्जा, संसदीय कार्य मंत्री एवं निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध
नरेंद्र सिंह	कृषि
वृषिण पटेल	परिवहन एवं सूचना एवं जनसंपर्क
रमई राम	राजस्व एवं भूमि सुधार
डा. भीम सिंह	ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज
दामोदर रावत	भवन निर्माण
नरेंद्र नारायण यादव	विधि, योजना एवं विकास
प्रशांत कुमार शाही	शिक्षा
शाहिद अली खां	अल्पसंख्यक कल्याण एवं सूचना प्रावैधिकी
श्याम रजक	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
नीतीश मिश्रा	ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण
अवधेश प्रसाद कुशवाहा	गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन
गौतम सिंह	विज्ञान एवं प्रावैधिकी
श्रीमती लेशी सिंह	उद्योग एवं आपदा प्रबंधन
दुलाल चंद्र गोस्वामी	श्रम संसाधन
विनय बिहारी	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

(साभार : आज, 21.05.2014)

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल माननीया उद्योग मंत्री से मिला

माननीया उद्योग मंत्री श्रीमती लेशी सिंह को बुके प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
उनकी बायीं ओर क्रमशः कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 28.05.2014 को चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में माननीया उद्योग मंत्री श्रीमती लेशी सिंह से मुलाकात की। चैम्बर अध्यक्ष ने माननीया मंत्री से राज्य में उद्योग के विकास हेतु विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इसके साथ ही चैम्बर अध्यक्ष ने माननीया उद्योग मंत्री से उद्यमियों एवं व्यवसायियों से संवाद हेतु चैम्बर में पधारने का अनुरोध किया। उद्योग मंत्री ने कृपापूर्वक दिनांक 07 जून, 2014 को चैम्बर में आने की अपनी स्वीकृति दी। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा चैम्बर के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री मनोज कुमार सम्मिलित थे।

चेक गणराज्य से सहयोग पर सहमति

बीसीसीआई में चेक गणराज्य और बिहार के बीच व्यापार बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा



बैठक में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी बायें ओर क्रमशः चेक गणराज्य के राजदूत मिलोस्लाव स्टेसेक, कॉमर्शियल काउंसलर जीरी जेनीसेक एवं ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इवान केमेनिक तथा दायें ओर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं कोषाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों और चेक गणराज्य के राजदूत मिलोस्लाव स्टेसेक के बीच उद्योग, कृषि, आधारभूत संरचना विकास और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। चैम्बर परिसर में मंगलवार 27.5.2014 को चेक गणराज्य और बिहार के बीच व्यापार बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा हुई।

बीसीसीआई अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने चेक गणराज्य के राजदूत मिलोस्लाव, कामर्शियल काउंसलर जीरी जेनीसेक और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इवान केमेनिक का स्वागत करते हुए कहा कि यह बैठक हमारे द्विपक्षीय सहयोग और रिश्ते को मजबूत बनाएगा। उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ शंकर दयाल शर्मा की चेकोस्लोवाकिया की यात्रा का जिक्र करते हुए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्तों को काफी पुराना बताया। चेक गणराज्य और भारत के बीच

व्यापारिक संबंधों का खुलासा करते हुए बताया कि चेक की प्रसिद्ध कंपनी बाटा 1930 में स्थापित की गई थी।

चेक के राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल को दिए गए इंदिरा गांधी पीस प्राइज 1994 और महात्मा गांधी पीस प्राइज 2004 का भी जिक्र किया। उन्होंने भारतीय चाय, आइटी, टेक्सटाइल, वाहन व दवा कंपनियों द्वारा चेक गणराज्य में किए गए निवेश की चर्चा करते हुए दोनों देशों के बीच आपसी व्यापारिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया।

चेक गणराज्य के राजदूत मिलोस्लाव स्टेसेक ने बताया कि दोनों देशों के बीच 1998 में डबल टैक्सेशन से बचने और 2001 में सोशल सिक्योरिटी और आर्थिक सहयोग के लिए समझौता हुआ। बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहां कृषि आधारित अर्थ व्यवस्था

है। यहां की सब्जियां और फल जैसे आम, लीची, अमरूद और अनानास को चेक निर्यात किया जा सकता है। यहां के आम और लीची चेक के लोग काफी पसंद करते हैं। यहां के दूसरे महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे गन्ना, शहद, जूट, तसर, सिल्क, मखाना आदि की काफी डिमांड है। चेक गणराज्य यहां के फलों और अन्य उत्पाद के लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्थापित करने में मदद कर सकता है।

यहां की नदियों में भी काफी पानी है जिसके लिए वाटर व एनर्जी सेक्टर में भी आपसी सहयोग से काम करने का विकल्प खुला है। चेक की फेमस कार कंपनी पहले ही यहां के दूसरे राज्यों में प्रोडक्शन कर रही है, बिहार में भी इसके कारखाने स्थापित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल चेक गणराज्य में वियतनाम से चावल आयात किए जाते हैं जबकि बिहार में पैदा होनेवाले चावल काफी उम्दा किस्म के हैं और इनकी डिमांड चेक में बनाई जा सकती है। (दैनिक जागरण, 28.5.2014)

चैम्बर सदस्य श्री ललन कुमार सराफ बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत

श्री ललन कुमार सराफ के बिहार विधान परिषद सदस्य मनोनीत होने पर चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने अपने बधाई संदेश में अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा -

बिहार के समस्त उद्योग एवं व्यवसाय जगत तथा मेरी ओर से विधानमंडल के उच्च सदन बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर हमारी हार्दिक बधाई स्वीकार करें।

आपके बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने से राज्य के समस्त उद्यमी एवं व्यवसायी अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपनी योग्यता एवं अनुभव से आपको सौंपी गई नयी जिम्मेवारी एवं दायित्वों के निर्वहन में अवश्य सफल होंगे। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि राज्य हित में आप जैसे योग्य, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति को आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए और बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, जिसे आप सफलतापूर्वक निर्वहन में अवश्य सफल होंगे।

एक बार पुनः आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं।”

- पी० के० अग्रवाल, अध्यक्ष



श्री ललन कुमार सराफ
सदस्य, बिहार विधान परिषद

केन्द्र सरकार का आर्थिक सुधारों पर होगा जोर

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार राजमार्ग निर्माण, टैक्स सुधार और इंफ्रा परियोजनाओं को अपनी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखा है। हर दिन 25 किलोमीटर नए हाइवे के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए जुलाई के पहले सप्ताह में आने वाले पूर्ण बजट में टैक्स में सुधार के रोडमैप की घोषणा होगी। साथ ही सरकार 1 अप्रैल 2015 तक डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को अमल में लाने का भी लक्ष्य तय किया है।

डायरेक्ट टैक्स कोड की योजना भारत के पुराने टैक्स नियमों में बदलाव करना है जबकि जीएसटी को एक टैक्स के रूप में देश में पहले से मौजूद कई परतों में और अप्रत्यक्ष टैक्स नियमों के बदले लाना है।

डीटीसी और जीएसटी दोनों विधेयकों को यूपीए सरकार ने वर्ष 2011 में पेश किया था, लेकिन यह परित नहीं हो सका। इनमें से कुछ योजनाओं की चर्चा देश के राष्ट्रपति भी जून के पहले सप्ताह में दिए जाने वाले संबोधन में कर सकते हैं। जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट में सरकार पहले के टैक्स नियमों को खत्म करने का प्रस्ताव ला सकती है। निवेशकों को पुराने टैक्स नियम काफी प्रभावित करते हैं। माना जा रहा है कि सरकार जमीन अधिग्रहण से जुड़े विधेयक में भी संशोधन की घोषणा कर

सकती है, ताकि उद्योग लगाने के लिए सस्ती कीमत पर जमीन का अधिग्रहण हो सके।

इन तमाम बदलावों की घोषणा पहले पूर्ण संसद सत्र यानी जुलाई-अगस्त में होने वाले बजट सह मानसून सत्र में हो जाने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि नई सरकार यूपीए के कार्यकाल में शुरू हुई रोजगार आधारित योजना मनरेगा में भी कुछ बदलाव करेगी। हालांकि अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि कई आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं का अमल राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा। (हिन्दुस्तान, 21.5.2014)

COMMERCIAL TAX COLLECTION GOES DOWN BY 8%

The growth rate of commercial tax collection has dipped to 21.43 per cent in 2013-14 from 29.01 per cent of 2012-13

This is the lowest growth rate of commercial tax collection except for 2010-11, since Nitish Kumar-led government took the reins of the state in November 2005.

With Nitish as Chief Minister, Sushil Kumar Modi as the then Finance Minister took measures to mop up revenue collection and instil a sense of confidence among the traders to do business and pay taxes. The commercial taxes department has witnessed a steady growth rate of tax collection of over 23 per cent since 2006-07 except 2010-11 when it stood at 20.84 per cent.

But the latest growth rate of 21.43 per cent in 2013-14 as sumes significance against the backdrop that the department's collection has gone down from 29.01 per cent and 26.50 per cent of tax collection growth in the financial years of 2012-13 and 2011-12 respectively.

"Our tax collection has recorded an increase of 21.43 per cent in the last fiscal. The department has been able to mop up tax collection of Rs 13,250 crore in 2013-14 against Rs 10,911 crore of the 2012-13 financial year" commercial taxes department additional commissioner Krishanand Rai told The Telegraph.

However, Bihar Chamber of Commerce and Industries (BCCI) expressed doubt over the department's claim of achieving the tax collection target of 2013-14.

"As per an RTI reply furnished by the department in January 2014, it had set a target of tax collection of Rs 13, 643 crore in 2013-14. The RTI reply says that the target was later revised at Rs 16,275.84 crore. First, the department failed to achieve the first target by Rs 393 crore and Secondly, if we take the revised collection target, then the department has missed the target by miles," BCCI President P. K. Agrawal said.

Asked why the department's target was lower than that of the tax collection figures of 2011-12 and 2012-13, Agrawal said the growth rate of commercial tax collection has gone down in 2013-14 because of harassment meted out to the traders by department.

"Whatever the collection the department could mop up in 2013-14, it was due to the department's decision to take advance tax from everyone and also the penalties imposed by it. Advance tax and penalties have major role to play in the last year's collection. If these two are removed from the collection basket, the amount would go down further", Agrawal said, adding that normally advance tax has, traditionally, been taken from big companies but this time it raised it from everyone.

SLUGGISH GROWTH

Financial Year	Tax collections (in Rs crore)	The commercial tax department registered a growth of 21.44 percent in collection during the 2013-14 fiscal year in comparison to corresponding period of 2012-13
2005 - 06	2389.98	The tax collection growth rate of 21.43 per cent is the lowest during Nitish's regime except 2010-11 when the department registered even lower than last year's (2013-14) rate of 20.84 percent.
2006 - 07	2950.14	
2007 - 08	3633.29	
2008 - 09	4469.69	
2009 - 10	5532.97	
2010 - 11	6685.07	
2011 - 12	8457.77	
2012 - 13	10911.31	
2013 - 14	13250.00	

(Detail : The Telegraph, 12.5.2014)

गांधी सेतु पर बड़े वाहनों की रोक पर हो पुनर्विचार

महात्मा गांधी सेतु पर दस चक्के वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक के संबंध में बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पथ निर्माण सचिव प्रत्यय अमृत से मिला।

चैंबर ने सचिव से आग्रह किया कि दस चक्के वाले वाहनों की जगह इससे बड़े वाहनों पर सरकार गांधी सेतु पर रोक लगाए, वह भी समयबद्ध तौरके से। इस पर पथ निर्माण सचिव ने चैंबर से इसमें मदद करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि अगर वह ऐसी व्यवस्था करें कि किसी वाहन पर दस टन से अधिक माल की ढुलाई नहीं होगी तो सरकार इसपर विचार करेगी।

प्रतिनिधिमंडल में शामिल चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि उत्तर बिहार की सारी औद्योगिक गतिविधियां इसी पुल पर निर्भर करती हैं। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व अध्यक्ष ओ. पी. शाह भी शामिल थे। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमंडल पथ परिवहन विभाग के सचिव से मिला और अनुरोध किया कि पुल पर कम से कम 10 चक्के वाहन पर प्रतिबंध हटना चाहिए। (हिन्दुस्तान, 20.5.2014)

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग भारत सरकार

अपने कार्य स्थल से इन सेवाओं की ऑनलाइन फाइलिंग का लाभ उठाने के लिए <http://www.ebiz.gov.in> देखें।

औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
(आईईएम)

औद्योगिक लाईसेंस
(आईएल)

15 मई, 2014 से आईईएम और आईएल हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.5.2014)

एसोचैम ने सस्ते मकान देने के रास्ते सूझाए

उद्योग मंडल एसोचैम ने देश में सस्ते मकान देने के लिए रास्ते सूझाए हैं जिनमें आवास क्षेत्र को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा देना, लैंड रिकार्ड का डिजिटलीकरण, रीयल इस्टेट में एफडीआई नियमों में ढील देना तथा बीमा तथा पेंशन कोषों को क्षेत्र में निवेश की अनुमति देना शामिल है।

एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर ने एक बयान में कहा है, 'सस्ते मकान विकल्पों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त व उचित कदम उठाने से न केवल जीडीपी को बल मिलेगा बल्कि भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा।' उन्होंने कहा है कि रीयल इस्टेट क्षेत्र में नरमी को देखते हुए, इसमें ऊंची ब्याज लागत पर अतिरिक्त एचएनआई निवेश आदि से कीमतों में और तेजी ही आएगी। इसमें देश को इस समय 1.878 करोड़ अतिरिक्त मकानों की जरूरत है जिसमें से 95.62 प्रतिशत की मांग आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआईजी) मध्यम आय समूह (एमआईजी) से है। एसोचैम का कहना है कि आवास क्षेत्र को ढांचागत क्षेत्र का दर्जा दिए जाने से इसमें अधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने रीयल इस्टेट क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए शर्तों में ढील देने की भी वकालत की है। (साभार: राष्ट्रीय सहारा, 21.5.2014)

HELP HUB FOR NEW ENTREPRENEURS

Incubation unit first, venture fund next

An incubation centre for new entrepreneurs is the latest buzzword in the corridors of the industries department.

The new idea has replaced talk of creation of venture capital fund mooted by the government to help start-ups in the state over a year ago.

Test Field : • Financial help between Rs 5 lakh and Rs 15 lakh • Interaction with industrialists running similar business in the state to know their experiences • Advice from industrial experts on industry scenario in the state and possibility of success of the industry entrepreneurs wish to set up. (Details : The Telegraph, 6.5.2014)

निम्नांकित के पूर्व विवरण हेतु चैम्बर से सम्पर्क करें:

1. निवासीय स्थिति तथा कर-दायित्व पर उसका प्रभाव।
2. अन्य व्यक्तियों को प्राप्त आय का शामिल होना।
3. कारोबार बढ़ाने के लिए सरल कर प्रणाली जरूरी।

साभार : टैक्स पत्रिका, मई, 2014

NEW GOLD POLICY ON WAY, IMPORT CURBS MAY GO; DEMAND TO RISE

The new government is likely to chalk out a holistic policy on gold to address the problem of increased smuggling of the yellow metal in the wake of import curbs.

The policy would take into account gold already available in the country, and measures to recycle it, apart from examining the feasibility of easing import duties on gold, a senior government official said.

AURUM SCARUM : • World Gold Council expects curbs on bullion imports to be eased soon • It says gold demand in India is likely to pick up in the second half of the financial year • Analysts say monthly imports of an average of 50-60 tonnes a month are likely to be allowed • Removal of policy curbs may take another two months, say experts.

(Details : Hindustan time, 21.5.2014)

जेवर त्ववसायियों ने सुनाई पीड़ा कहा- ज्यादा कर मांगना गलत

पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने की वाणिज्य कर उपायुक्त से मुलाकात

वाणिज्य कर विभाग और राजधानी के स्वर्ण व्यवसायियों के बीच 20.5.2014 को अहम वार्ता हुई। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के नेतृत्व में राजधानी के लगभग दो दर्जन स्वर्ण व्यवसायियों ने वाणिज्य कर उपायुक्त कृष्णा राय के समझ अपनी पीड़ा रखी। पटना उत्तरी अंचल के वाणिज्य कर उपायुक्त के हस्ताक्षर से दिनांक 13 मई को एक पत्र जारी किया गया था, जिसकी असंयमित भाषा से स्वर्ण व्यवसायी बिफर उठे थे। विभाग द्वारा जारी पत्र में व्यवसायियों पर कम वाणिज्य कर जमा करने का आरोप लगाया गया था। इस आलोक में 22 मई तक विभाग में उपस्थित होने का फरमान जारी किया था।

विनोद गुप्ता, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ ने बताया कि उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं पर ऊपर तक बात करेंगे। स्वर्ण व्यवसायियों के अनुसार केंद्र द्वारा सोने के आयात पर रोक लगा दी गई है। देश में 980 टन की जगह मात्र 650 टन सोने का आयात हो रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में राजधानी के व्यवसायियों से विभाग को 10 प्रतिशत से अधिक बिक्री कर मिला है। विभाग का अधिक वाणिज्य कर की मांग करना गलत है। (साभार : दैनिक भास्कर, 21.5.2014)

दरभंगा में खुलेगा मिनी पासपोर्ट सेवा केंद्र

दरभंगा में मिनी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) खुलेगा। सूबे की इस चिर-प्रतीक्षित मांग पर विदेश मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। यह देश का पहला 'पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र' होगा। इससे दरभंगा व उसके आसपास के कुल 8 जिलों के लोगों को फायदा होगा। पासपोर्ट के लिए आवेदन जमा करने के लिए उन्हें पटना आने की जरूरत नहीं होगी। अगले 5-6 महीने में लघु केंद्र को चालू करने की योजना है। जगह के लिए रीजनल पासपोर्ट अफसर आनंद कुमार और जिला प्रशासन व जिला प्रशासन व जिला परिषद के बीच बातचीत चल रही है। फिलहाल लहेरियासराय में कलेक्ट्रेट के सामने जिला परिषद कार्यालय परिसर में ही सूबे का एकमात्र दरभंगा पीएससी (पासपोर्ट अप्लीकेशन कलेक्शन सेंटर) है। इसी जगह को मिनी पीएसके के लिए आरंभिक तौर पर चयन किया गया है। वर्तमान सेंटर 1100 स्क्वियर फीट में है लेकिन मिनी पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने के लिए करीब 4000 वर्ग फीट जगह की जरूरत है।

छपरा में भी खोलने का प्रस्ताव : छपरा में भी पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र खोलने की योजना है। इस बाबत विदेश मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। लघु केंद्र में छपरा (सारण), सिवान, गोपालगंज समेत चार जिलों के आवेदकों का आवेदन जमा करने की बात प्रस्ताव में कही गई है। फिलहाल दरभंगा व आसपास के जिलों को छोड़ कर करीब 30 जिलों के लोगों को आवेदन जमा करने के लिए पटना आना पड़ता है। दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है।

जल्द मिलेगा पासपोर्ट : दरभंगा में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र खोलने पर आवेदकों को जल्दी पासपोर्ट मिलेंगे। तीन की जगह एक-डेढ़ महीने में यह संभव होगा। मैनुअली प्रक्रिया होने के कारण अभी अधिक समय लगता है।

आनंद कुमार, रीजनल पासपोर्ट अफसर (बिहार)

(साभार : दैनिक जागरण 11.5.2014)

BSTDC TO POWER CRUISE PACKAGES

The Bihar State Tourism Development Corporation (BSTDC) is to take several steps to increase the client base for cruise tourism in the state capital.

STEPS TAKEN : • BSTDC creates two to four hour booking packages with dinner on cruise • Plans to offer 25% rebate to schoolchildren on group bookings • To tighten security installed GPS on ship and plan CCTV at Gandhi ghat • Created complaint booking and tourist information counter at Gandhi ghat. (Details : H. T., 21.5.2014)

CSR MAY NOT BE A GAME-CHANGER

But decentralised spending by companies may promote efficiency in project choice and implementation

Discharging corporate social responsibility (CSR) is now mandatory in India. According to Section 135 of the Companies Act, 2013, every registered company, above a minimum size, has to spend at least 2% of its net profit on CSR activities every year. The provisions of Section 135, which came into effect from April 1, 2014, are seen by many as corporate sector's contribution towards the development of the nation.

However, there is considerable debate regarding whether companies should be mandated to discharge CSR. Proponents of mandatory CSR argue that companies that use national resources and infrastructure facilities provided by the government have a responsibility that extends to the society at large, beyond those of the company's immediate shareholders and stakeholders. This idea is encapsulated in the triple-bottom-line approach that emphasise a company should balance economic, social and environment objectives (ESG) while addressing the expectations of its shareholders and stakeholders. Many believe that investors use the ESG framework to evaluate corporate behaviour and to determine the future performance of companies. (Details : Fin. Exp, 10.5.2014)

TAXING TIMES

Q. I am 81 year old. My income during the period April 2013 March 2014 from pension, interest accrued on bank fixed deposit and savings bank appears to exceed the limitation of Rs 5 lakh. I have submitted form 15H to banks and also paid Rs 40,450 as insurance premium for the period.

- If my income exceeds the limit by Rs 50, 000 after deduction under section 80C, what will be my income tax liability?
- Where and how will I pay the tax?
- On account of my heart trouble, I have been living with a pacemaker. Is there any relief available on the medical expenses?
- Is the exemption of Rs 2, 000 (u/s 87A) available in my case?
- Are returns on income from mutual fund tax free?

Ans. : With a tax rate of 20 per cent, a sum of Rs10, 300 is payable as income tax on income of Rs5,50,000, including education cess. Self assessment tax can be paid using challan no. 280 and the amount can be deposited through designated branch of any nationalised bank and Indian private bank. Even though there is a provision of exemption of up to Rs 60,000 on medical expenses for senior citizens, treatment of heart disease is not prescribed in rule 11 DD of income tax rules 1962 when read with section 80DDB of the income tax act. Rebate under section 87A is not available as the total taxable income exceeds Rs 5,00,000. Income received in respect of units of a mutual fund is exempt under section 10 (35) of income tax act.

Gift for niece

Ques. : I am an 84-year-old senior citizen. My brother has a married, working daughter whom I am planning to gift a sum of money.

- Can I gift any amount to her, without any limit?
- Is a mere declaration on plain paper enough or a registered deed on stamp paper mandatory?

Ans. : You can gift any amount without any limit to your brother's married daughter. Donor and recipient are not required to pay any income tax under the provision of section 56 (2) (Vii) of the I-T act. Declaration of gift on plain paper is enough for documentation but one can also have a registered deed as well for future legal requirements.

(Source : The Telegraph, 12.5.2014)

TAX RELIEF FOR LIFT INSTALLATION

In a setback to the government, a Constitution Bench has ruled that a contract for installation of elevators or lifts in apartment blocks or institutions cannot be treated as a "sale" for the purpose of taxation, but should be considered as a contract. (Details : The Telegraph, 8.5.2014)

10 साल से बड़े हैं तो खुद चला सकते हैं बैंक खाता

आरबीआई के मुताबिक 10 साल से बड़े बच्चे बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। साथ ही वे एटीएम व चेक बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को इससे संबंधित निर्देश जारी किए हैं। (साभार : दैनिक भास्कर, 7.5.2014)

RBI PUTS CURBS ON Rs. LOAN REFINANCING VIA ECB ROUTE

THE Reserve Bank of India (RBI) barred Indian companies from raising money from subsidiaries of Indian banks overseas through external commercial borrowings (ECBs) to refinance rupee loans.

"It has been decided that eligible Indian Companies will not be permitted to raise ECB from overseas branches or subsidiaries of Indian banks for the purpose of refinance/repayment of the rupee loans raised from the domestic banking system," the central bank said in a notification.

"It has been decided that eligible Indian companies will not be permitted to raise ECB from overseas branches or subsidiaries of Indian banks for the purpose of refinance/repayment of the rupee loans raised from the domestic banking system"

— RBI notification

(Details : Fin. Exp, 10.5.2014)

कर्ज पहले चुकाने पर जुर्माना नहीं

ऋण समय से पहले चुकाने पर मिलेगी राहत

आरबीआई का निर्देश : • जुर्माना नहीं लेने की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है • रिजर्व बैंक ने एक अधिसूचना में बैंकों को दी है सलाह • इससे मौजूदा और नए ग्राहकों के बीच भेद-भाव कम होगा।

2 प्रतिशत की दर से कुछ बैंक समय से पहले कर्ज लौटाने पर ले रहे हैं शुल्क

5 फीसदी बकाया मूलधन का वसूलता है आईसीआईसी आई बैंक पर्सनल और कार लोन पर

3 से पांच फीसदी तक बकाया कर्ज पर वसूलता है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन पर

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.5.2014)

शाही ब्रांच, 1 करोड़ रु से तो खाता खुलता है

रॉयल्टी : स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर ने शुरू की खास लोगों के लिए खास ब्रांच दीवान-ए-आम, दरबार और राजकोष जैसे शब्द राजाओं के जमाने की याद दिलाते हैं, लेकिन अब ये एक शहर की बैंक का हिस्सा हैं। जयपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एंड जयपुर के ब्रांच 'कोहिनूर रोयाल' में शाही अंदाज देखने को मिलता है। हो भी क्यों न, यहाँ अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम एक करोड़ रुपए होना चाहिए। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 4.5.2014)

पीएफ जमा लेने के हकदार नहीं रहे बैंक!

गैर निष्पादित कर्जों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) गैर सरकारी भविष्य निधि कोषों से जमाएं नहीं ले सकेंगे। (विस्तृत : बिजनेस स्टैंडर्ड, 6.5.2014)

अब आर्किटेक्ट बनाएंगे नक्शा, निगम करेगा जांच व नगर आयुक्त देंगे मंजूरी

पुराने बिल्डिंग बायलॉज पर ही होगा भवन निर्माण, प्लानिंग रिपोर्ट का फॉर्म दो-तीन दिनों में करीब एक साल से शहर में प्लानिंग रिपोर्ट और भवनों का नक्शा बनाने पर लगी रोक हटा दी गई। नगर आयुक्त कुलदीप नारायण ने निगम के निर्बंधित वास्तुविदों के साथ बैठक कर प्लानिंग रिपोर्ट और नया नक्शा बनाने का आदेश दिया। नक्शा कैसे पास होगा, वास्तुविदों को क्या-क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसकी जानकारी भी वास्तुविदों को दी। बिल्डिंग बनाने की पूरी प्रक्रिया पुराने बिल्डिंग बायलॉज के आधार पर ही होगी।

नगर आयुक्त ने कहा कि लोग नया नक्शा पास कराने के लिए निर्बंधित वास्तुविद से संपर्क कर सकते हैं। प्लानिंग रिपोर्ट के लिए फॉर्म मिलना दो-तीन दिनों में शुरू हो जाएगा। लेटर जारी कर संबंधित पदाधिकारी को सूचना दे दी जाएगी। करीब तीन घंटे तक वास्तुविद और नगर आयुक्त के साथ चली बैठक में वास्तुविदों से राय सलाह ली गई और कई निर्देश दिए गए। (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 16.5.2014)

'पावर' की लड़ाई में फंसीं जनहित की योजनाएं

पटना नगर निगम की योजनाएं जो नहीं हुई पूरी : • 50 स्थानों पर पार्किंग का निर्माण अधूरा • पार्कों का मेंटेनेंस नहीं • डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन अधर में • सार्वजनिक शौचालयों और मूत्रालयों का निर्माण नहीं • चौक-चाराहों पर प्याऊ का निर्माण अधर में • वाडों में नहीं हुई रोशनी की व्यवस्था • कुछ वाडों में ही लगे चापाकल • बदहाल हैं नाले और गलियां • प्लास्टिक थैले पर प्रतिबंध की हवा निकली • नहीं हुई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति • 20 की जगह मात्र 7 नागरिक सुविधा केंद्र खुले • पेयजल संकट का समाधान • ठोस कचरा प्रबंधन • सफाई उपकरणों की खरीदारी • पारिवारिक, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन • नालों की उड़ाही • मौर्यालोक परिसर की मरम्मत आदि। (विस्तृत : राष्ट्रीय सहाय, 19.5.2014)

पहले रिटर्न, तभी जमा होगा प्रोपर्टी टैक्स

बिहार नगर पालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण संग्रहण व वसूली) नियमावली 2013 के तहत नगर निगम ने अपने क्षेत्र के सभी होल्डिंग मालिकों को प्रोपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) रिटर्न दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। जल्दी ही इलाके के टैक्स कलेक्टर यह नोटिस होल्डिंग मालिकों तक पहुंचा देंगे। प्रोपर्टी टैक्स का रिटर्न भरने के बाद चलान जेनरेट करना होगा। जिसके आधार पर टैक्स जमा होगा। पिछले वर्ष इस सेवा के तहत करीब 40 हजार लोगों ने अपना रिटर्न दाखिल किया था।

• अब निगम को टैक्स जमा करने में बैंक भी करेंगे मदद • टैक्स में गड़बड़ी करने पर पांच गुणा लगेगा जुर्माना • डेढ़ लाख नए होल्डिंग के शामिल होने की निगम को उम्मीद • नगर सेवा हेल्पलाइन 0612-3095555 पर मिलेगी विस्तृत जानकारी।

टैक्स जमा करने के कई हैं विकल्प : होल्डिंग टैक्स जमा करने के कई विकल्प हैं। जहाँ तो आप अपने टैक्स कलेक्टर के पास कर का भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक सुविधा केंद्र व नगर निगम कार्यालय में भी टैक्स जमा करने की सुविधा है। नगर निगम ने एसबीआई व पीएनबी के साथ करार किया है। इसलिए इनकी किसी भी शाखा में जाकर टैक्स जमा कर सकते हैं। बिहार सरकार ने नेट बैंकिंग के माध्यम से चलान जमा करने का टेंडर निकाला है। जल्दी ही इस पर फैसला होने की उम्मीद है।

प्रोपर्टी टैक्स रिटर्न जमा करने का तरीका : • <http://ptax.nagarseva.in> पर जाकर सलेक्ट डिस्ट्रिक्ट विकल्प विकल्प में पटना व सलेक्ट अर्बन लोकल बांडी में पटना म्युनिसिपल कारपोरेशन को चुने • फाइल पीटीआर विकल्प पर अपनी नोटिस संख्या दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। नए पेज पर अपनी होल्डिंग से संबंधित सभी जानकारी सही-सही भर कर सबमिट करें। फिर नेक्स्ट विकल्प पर क्लिक करें • नए पेज पर जाने के पश्चात अपनी प्रविष्टि की पुष्टि कर लें। यदि सारी प्रविष्टियां सही हैं तो सेव कर लें, अन्यथा बैंक बटन पर क्लिक कर फॉर्म पुनः भरें। सेव करने के पश्चात आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर एक वेरीफिकेशन कोड भेजा जाएगा। जिसकी प्रविष्टि के बाद कन्फर्म बटन क्लिक करें • कन्फर्म करने के पश्चात आपका रिटर्न दाखिल होना सुनिश्चित होगा। आप अपने रिटर्न की हार्ड कापी प्रिंट कर उस पर अपना हस्ताक्षर कर निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित अंचल में जमा कर दें। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 20.5.2014)

सेटेलाइट मैप से आपका घर जांचेगा निगम

अब अगर आप प्रोपर्टी टैक्स भरते समय निगम को गलत जानकारी देते हैं तो पकड़े जाएंगे क्योंकि निगम ने ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम (जीआईएस) की मदद से शहर का एक मैप तैयार किया है, जिससे निगम अधिकारियों को एक क्लिक पर आपके भवन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका मकान तीन मंजिला है और आप दो मंजिल का ही टैक्स भरते हैं तो इसे निगम सीआईएस की मदद से जांच लेगा और आप पर जुर्माना हो सकता है। (विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.5.2014)

DETAILS : PRINCIPAL SECRETARIES OF DIFFERENT DEPARTMENT, GOVERNMENT OF BIHAR

SL	DEPARTMENT	OFFICE	FAX	MOBILE	E-MAIL ADDRESS
1.	Agriculture	2215720	2217365	--	apc-bih@nic.in
2.	Animal & Fish Resources	2217543	2217010	--	secahd-bih@nic.in
3.	BC & EBC Resources	2203707	2215265	94310-23101	secy-bcebc-bih@nic.in
4.	Board of Revenue	2217029	--	94310-12648	mem-bor-bih@nic.in
5.	Building Construction	2545656	2545746	--	secy-bcd-bih@nic.in
6.	Cabinet Secretary	2215246	2217698	94310-22229	secy-cab-bih@nic.in
7.	Commercial Taxes	2214741	2214741	--	comtax-bih@nic.in
8.	Co-operative	2215353	2217127	94731-91460	cooperative-bih@nic.in
9.	Education	2217016	2235108	94731-91232	secy-edn-bih@nic.in
10.	Energy	2217412	2232852	--	energy@bihar.gov.in
11.	Environment & Forest	2217713	2217713	94318-15952	prsecy-envfor-bih@nic.in
12.	Finance	2215805	2217694	94731-91494	finsecy-bih@nic.in
13.	Food & Consumer Protection	2217799	2239760	--	secy-fsc-bih@nic.in
14.	General Administration	2216784	2217466	--	secy-par-bih@nic.in
15.	Health	2215809	--	--	health-bih@nic.in
16.	Industries	2215211	2217991	--	secyind-bih@nic.in
17.	Information & Public Relations	2212390	2215926	--	secy-prd-bih@nic.in
18.	Information Technology	2545315	2545316	--	secy-it-bih@nic.in
19.	Labour Resources	2213855	2215004	--	sec-lab-bih@nic.in
20.	Law	2217666	2217666	--	sec-law-bih@nic.in
21.	Mines & Geology	2215857	2232930	94310-22299	secymine-bih@nic.in
22.	Minority Welfare	2236742	2217745	--	min-welfare-bih@nic.in
23.	Parliamentary Affairs	2217616	2207836	95720-85783	prsecy-paffair-bih@nic.in
24.	Panchayati Raj	2202229	2200991	--	secy-panchayat-bih@nic.in
25.	Public Health Engineering	2545087	2245586	--	secy-phed-bih@nic.in
26.	Planning	2217977	2212699	--	secy-plandev-bih@nic.in
27.	Registration, Excise & Prohibition	2224626	2223871	--	secy-reg-bih@nic.in
28.	Revenue & Land Reforms	2215259	2200991	--	lrc-bih@nic.in
29.	Road Construction	2233362	2233914	94700-01252	secyrcd-bih@nic.in
30.	Rural Development	2217496	2217857	--	rlsec-bih@nic.in
31.	Rural Works	2545191	2545322	94731-91454	secy-reo-bih@nic.in
32.	Science & Technology	2546598	2546418	--	secy-snt-bih@nic.in
33.	SC & ST Welfare	2546598	2546418	--	secy-welfare-bih@nic.in
34.	Sugarcane	2215834	2215279	--	secysd-bih@nic.in
35.	Transport	2546449	--	--	transecy-bih@nic.in
36.	Urban Development	2215580	2217059	94731-91439	urbansec-bih@nic.in
37.	Vigilance	2232630	2232704	--	svccvd@nic.in
38.	Youth, Art & Culture	2211619	--	--	secart-bih@nic.in

(Source : Bihar Govt sits)

शहरी क्षेत्र की सबसे सस्ती जमीन 40 लाख रुपए कट्टा

निबंधन कार्यालय द्वारा तय दर पर सरकार की मुहर लग जाए तो पटना शहर में एक कट्टा जमीन कम से कम 40 लाख रुपए में मिलेगी। शहर को 641 मौजे में बांटकर नए सर्किल रेट तय कर दिए गए हैं। जिला निबंधन कार्यालय ने एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक के लिए दर का निर्धारण किया था। चुनाव आचार संहिता के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। फिर प्रस्ताव तैयार कर निबंधन विभाग को भेजा है। प्रशासन ने ग्रामीण व शहरी इलाकों को मौजा में बांटकर नई भूमि दर का निर्धारण किया है। प्रशासन का कहना है कि सरकार का दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही नई दर को लागू कर दिया जाएगा।

पांच श्रेणियों में बांटी जमीन : पटना की जमीन को पांच श्रेणी में बांटा गया है। सभी 641 मौजा के लिए अलग-अलग भूमि दर का निर्धारण किया गया है। जमीन को व्यावसायिक मेन रोड, व्यावसायिक सहायक रोड, व्यावसायिक प्रधान रोड, आवासीय मेन रोड और आवासीय सहायक रोड में बांटा गया है। प्रशासन का कहना है कि वर्गीकरण करने से आम लोगों या खरीदारों को भूमि के मूल्य निर्धारण में परेशानी नहीं होगी। इसी आधार पर जमीन का निबंधन भी होगा। शहरी भाग में 12 लाख रुपए से 26 लाख रुपए प्रति डिसमिल भूमि की दर का निर्धारण किया गया है। आवासीय सहायक रोड में दर कम और व्यावसायिक प्रधान रोड में जमीन की दर सबसे अधिक है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर 23.5.2014)

बरोनी में बनेगा उच्च क्षमता का डीजल लोकोमोटिव शोड

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक मधुरेश कुमार ने बरोनी के गड़हरा में उच्च अक्षयशक्ति डीजल लोकोमोटिव शोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर महाप्रबंधक श्री कुमार ने कहा कि उच्च अश्व-शक्ति डीजल लोको शोड के बन जाने के बाद उच्च अश्व-शक्ति वाले डीजल इंजन के रखरखाव का कार्य आसानी से होने लगेगा। वर्तमान में इसके रखरखाव के लिए सीमांत रेलवे के सिलीगुड़ी स्थित उच्च अश्व-शक्ति लोको शोड में भेजना पड़ता है। इससे रेलवे को राजस्व के साथ-साथ समय की भी बर्बादी होती थी।

महाप्रबंधक श्री कुमार ने कहा कि समस्तीपुर मंडल में वृहत रूप से आमन परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि इस लोकोमोटिव के निर्माण पर 118.70 करोड़ रुपये के खर्च आने की संभावना है, जिसे 2018 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 11.5.2014)

राजधानी में पांच वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त भोजन

राजधानी व शताब्दी जैसी वीआइपी ट्रेन के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा पर निकलते समय अपने बच्चों के भोजन के लिए चिंतित नहीं रहना पड़ेगा। पांच साल तक के बच्चों के खाने-पीने की व्यवस्था यात्रियों की तरह रेलवे ही करेगी। इसके लिए यात्री को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। रेलवे की ओर से पांच साल तक के बच्चों को मुफ्त भोजन परोसा जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 21.5.2014)

विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार को मिली राशि

नगर विकास एवं आवास विभाग ने राजधानी क्षेत्र के तीनों विद्युत शवदाह गृहों के जीर्णोद्धार के लिए प्राक्कलित राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। जल्द ही इनके जीर्णोद्धार का काम शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त बांसघाट स्थित मलिन बस्ती योजना अंतर्गत शौचालय, पेयजल एवं रोशनी की व्यवस्था को पटना नगर निगम ने शेष राशि विमुक्त कर दी है।

योजना का नाम : प्राक्कलित/स्वीकृत राशि

• बासघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार- 179,65900 • गुलबीघाट स्थित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार- 8662500 • खाजेकलां स्थित विद्युत शवदाह गृह का जीर्णोद्धार-11562700

(साभार: दैनिक जागरण, 23.5.2014)

पटना जंक्शन : प्लेटफॉर्म एक के पास तक जाएगी कार

वह दिन दूर नहीं जब आपकी कार प्लेटफॉर्म के एकदम पास तक जाएगी। यह सब संभव होगा प्रीमियम कार पार्किंग से। जल्द ही पटना जंक्शन के महावीर मंदिर साइड के सर्कुलैटिंग एरिया में प्रीमियम कार पार्किंग बनाने की योजना है।

केनरा बैंक का एटीएम : स्टेट बैंक के एटीएम के पास केनरा बैंक का एटीएम शिफ्ट होगा। अभी आरक्षण काउंटर के पास केनरा बैंक का एटीएम है, जो काफी समय से बंद पड़ा है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर 9.5.2014)

EDITORIAL BOARD

Editor
A. K. P. Sinha
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Asst. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505

E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org